छत्तीसगढ़ राज्य में भारत निर्माण कार्यक्रम का मूल्यांकन

An Appraisal of Bharat Nirman Programme in Chhattisgarh

A
SUMMARY OF
MINOR RESEARCH PROJECT REPORT

F.No. MH-155/201001/XII/14-15/CRO

प्रस्तुत

उच्च शिक्षा अनुदान आयोग
मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)

सत्र - 2017

प्रस्तुतकर्ता

डॉ. एच.एल. अग्रवाल
प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
सी.एम.डी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य में भारत निर्माण कार्यक्रम का मूल्यांकन
An Appraisal of Bharat Nirman Programme in Chhattisgarh

शोध संक्षेपिका

ग्रामीण भारत की अपार क्षमता का उपयोग करने के लिये भारत सरकार ने ''भारत निर्माण'' नामक एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किया था। प्रारंभ में चार वर्षों 2005–2009 के लिये वर्ष 2005 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम था। कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, दूरसंचार, संपर्क और विद्युतीकरण के क्षेत्र में परियोजनाएं क्रियान्वित की जाती है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिये विशिष्ट लक्ष्य और ध्येय तय किये गये थे।

भारत निर्माण के अंतर्गत इन लक्ष्यों को पूरा करने के संबंध में तात्कालिकता को समझने और कार्यक्रमों को समयबद्ध पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया जाना था। कार्यक्रम का चरण 2005–06 से 2008–09 लागू किया गया और इस चरण के आधार पर चरण–2 वर्ष 2009–10 से लागू किया गया। दूर संचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 31 मार्च, 2014 की स्थिति में 1,57,895 ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड संयोजकता के तहत लाया गया और 43.96 प्रतिशत ग्रामीण टेली घनत्व हासिल किया गया।

भारत निर्माण योजना के कुछ महत्वपूर्ण योजना जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास, जल संसाधन, विद्युतीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित किये जा रहे हैं। शत–प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 24 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क से वंचित ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है ताकि 500 या इससे अधिक आबादी वाले गांव से

इस प्रकार जोड़ना है कि भारत निर्माण के अंतर्गत 2009 तक समयबद्ध तरीके से मैदानी क्षेत्रों से ज्यादा जनसंख्या वाले आबाद क्षेत्र का सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 215/285/22/पं.ग्रा.वि.वि./2011 रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल, 2011 द्वारा ''मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना'' प्रारंभ की गई। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक लाख गांव को डामरीकरण सड़क से जोड़ना था।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत 962 सड़कों की स्वीकृति की जा चुकी है। वर्ष 2014–15 (जनवरी) राज्य के पूर्ण सड़कों की संख्या 511 में व्यय की राशि 73125.27 लाख रूपये थी। अध्ययन के जिलेवार उपलब्धियों में महासमुंद जिले में पूर्ण सड़कों की संख्या (31.01.2015 तक) 21 थी जिस पर व्यय 838.86 लाख रूपये व्यय किये गये। बलौदाबाजार जिले में पूर्ण सड़कों की संख्या 31 पर कुल व्यय 2946.58 लाख रूपये थी। जशपुर जिले में पूर्ण सड़कों की संख्या 20, व्यय की यह राशि 898.66 लाख रूपये थी। कोरिया जिले में 11 सड़क पूर्ण कार्यों पर कुल व्यय 1079.78 लाख। जशपुर जिले में 3 पूर्ण सड़क कार्यों पर 328.57 लाख रूपये। मुंगेली जिले में 52 पूर्ण सड़क कार्यों पर 4319.31 लाख रूपये। बिलासपुर जिले में पूर्ण सड़क कार्यों की संख्या 25 में 1720.24 लाख रूपये व्यय किये गये। बीजापुर जिले में केवल एक सड़क कार्य पर 32.21 लाख रूपये व्यय किये गये। चूंकि बीजापुर जिला नक्सल प्रभावित होने के कारण सड़क निर्माण कार्य धीमी गति से संचालित हैं।

गांवों में आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना (JRY) की उप योजना के रूप में मई 1985 में इंदिरा आवास योजना (IAY) शुरू की गई। 1 जनवारी, 1996 से यह एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य अत्यंत गरीब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, मुक्त बंधुवा मजदूरों और गैर अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों में आने वाले ग्रामीण गरीबों को आवासीय इकाइयों के निर्माण और मौजूदा कच्चे मकानों को सुधारने में मदद देने के लिये अनुदान दिया जाता है।

वर्ष 2013–14 में देश में 13.73 लाख मकानों का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ में इस योजना का संचालन जारी है। भारत सरकार 75 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराती है। जिलेवार राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आवासों का निर्माण स्वयं हितग्राहियों द्वारा किया जाता है। राशि का भुगतान जिला पंचायत द्वारा किया जाता है। मार्च 2014 की स्थिति में राज्य में 77781 पूर्ण कार्यों पर कुल 26700.97 लाख रूपये व्यय किये गये। व्यय का प्रतिशत 72.37 प्रतिशत बताया गया।

शोध कार्य के जिलों में इंदिरा आवास की प्रगति के अंतर्गत बीजापुर 223 कार्य पूर्ण किये गये, जिसमें पूर्णता का प्रतिशत 6.0, बिलासपुर जिले में 947 पूर्ण कार्य, प्रतिशत 16.0, जशपुर जिले में 3230 कार्य, पूर्णता का प्रतिशत 78.0, कांकेर जिले में 679 कार्य, पूर्णता प्रतिशत 19.0, कोरिया जिले में 529 कार्य पूर्ण, प्रतिशत 13.0, महासमुंद जिले में 1149 कार्य पूर्ण, प्रतिशत 31.0 एवं बलोदाबाजार में 0 कार्य।

राज्य के विकास में जल संसाधनों का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम के 1 फरवरी 2007 में 1324 जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन किया गया। राज्य की वृद्धि एवं मध्यम योजनाओं की दक्षता वृद्धि हेतु नहरों में लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। जल संसाधन के क्षेत्र में राज्य में सिंचाई क्षमता 10 प्रतिशत बढ़ी तथा बजट में छः गुनी वृद्धि की गई। वर्तमान में जल संसाधन की उपलब्धियों में सिंचाई क्षमता 19.29 लाख हेक्टेयर, 455 लघु सिंचाई परियोजना पूर्ण की गई। नहरों में लाइनिंग कार्य 12 प्रतिशत पूर्ण किया गया। प्रदेश में सिंचाई क्षमता को प्रतिवर्ष 80000 हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य। वर्ममान में 396 योजनाओं की सिंचाई क्षमता की पुनःसम्पादिता का लक्ष्य आगामी तीन वर्षों में पूर्ण किया जावेगा। वर्ष 2016–17 में जल संसाधन विभाग का बजट 2532 करोड़ तक बढ़ गया। वर्ष 2003–04 में जल संसाधन विभाग का बजट 508 करोड़ रूपये थी।

छत्तीसगढ़ देश का पहला बिजली कटौती मुक्त राज्य है जहां 1 जनवरी, 2008 से जीरो पॉवर कट की स्थिति है। राज्य गठन के समय विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट थी, जो बढ़कर 2424.76 मेगावाट हो गई, जो 78 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2011–12 में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या कोरिया 678 ग्राम, जशपुर 750 ग्राम, बिलासपुर 1578 ग्राम, मुंगेली 1604 ग्राम, महासमुंद 111 ग्राम, कांकेर 1043 ग्राम, बीजापुर 936 ग्राम थी। कृषि पंपों के फीडर का पृथकीयकरण लक्ष्य/कार्यों के निष्पादन हेतु आगामी तीन वर्षों में 6163 कि.मी. नयी के.व्ही. लाईन, 321 नग 33/11 के.व्ही. के सब–स्टेशन, 29255 किलोमीटर नयी 11 के.व्ही. के सब स्टेशन, 53695 नग नये 11/04 के.व्ही. के सब स्टेशन, 26748 किलोमीटर नयी एल.टी. लाइन का निर्माण, अनुमानित कुल व्यय 4087 करोड़ रूपये के कार्यों को पूरा किया जाना है।

छत्तीसगढ़ राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषकों को विद्युत आपूर्ति के माध्यम से सिंचाई क्षमता में वृद्धि कर कृषि उत्पादन कार्यों के लिये निम्न लिखित कार्य योजना संचालित की जा रही है। कृषक जीवन ज्योति योजना, सिंचाई पंपों का विद्युतीकरण, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आदि। ज्ञान की तेजी से बढ़ती दुनिया में दूरसंचार आर्थिक विकास के लिये एक आवश्यक बुनियादी ढांचा बन चुका है। देश के सभी भागों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच एक नव परिवर्तनशील और टेक्नालॉजी से सम्पन्न समाज के विकास का अभिन्न हिस्सा है। अध्ययन से यह बात सामने आई है कि देश के जी.डी.पी. के विकास पर इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं की पैठ के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध है। सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों में उठाये गये कदमों के परिणाम स्वरूप भारतीय दूरसंचार क्षेत्र ने तेजी से तरक्की की है और चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। वित्तवर्ष 2015 की शुद्ध आय में टेलीफोन की संख्या 898.02 मिलियन थी जो बढ़कर आज 933.02 मिलियन हो गई। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य के गांवों और शहरों में 7000 से अधिक सामान्य सेवा केन्द्रों (Common Service Centre) और चॉईस सेंटरों के माध्यम से नागरीकों को 36 प्रकार की

शासकीय सेवायें दी जा रही है। इन केन्द्रों के जरिए ई–पेमेंट और कैशलेस लेन–देन को बढ़ावा दिया गया है। डिजिटल छत्तीसगढ़ परियोजना के अंतर्गत सी. जी. स्थान 2.0 परियोजना में सभी 27 जिलों को कुल 3000 कार्यालयों को इंटरनेट से जोड़ा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थानों की भागीदारी से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में बुनियादी आधारभूत ढाचों को सुदृढ़ करने के लिये सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, दूरसंचार संपर्क तथा विद्युतीकरण के क्षेत्रों में परियोजना को कार्यान्वित किया गया। बाद के वर्षों में केवल गरीबी दूर करने में भारत निर्माण कार्ययोजना को सीमित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में इन कार्य योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने में उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। सर्वेक्षण अध्ययन में चार आदिवासी जिले चार गैर आदिवासी जिले से चार–चार जनपद पंचायतों से दो–दो ग्रामों का चयन कर कुल 400 ग्रामीण परिवारों का विस्तृत अध्ययन किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी धीमी गति से लागू है। छत्तीसगढ़ राज्य वामपंथी विचारधारा से घोषित नक्सल गतिविधियों के कारण सामाजिक दबाव तथा अशांति की आशंका में विकास कार्यों को अंजाम दे रहा है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा/साक्षरता की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। अशिक्षित परिवारों की संख्या 23.25 प्रतिशत रिकार्ड की गई। यद्यपि हाई स्कूल तक पढ़ने वालों की संख्या सर्वाधिक 40.0 प्रतिशत पाई गई। ग्रामीण छत्तीसगढ़ में केवल 2.25 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवार आधुनिक तथा शेष परंपरावादी विचारों की पोषक पाई गई।

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने अपने युवाओं को उनके मनपसंद व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण पाने का कानूनी अधिकार दिया। इसके लिये विधेयक लाकर छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 बनाया गया। कौशल विकास के क्षेत्र में सर्वेक्षित जिलों – बीजापुर, कोरिया,

जशपुर, महासमुंद, बिलासपुर, बलौदाबाजार तथा मुंगेली जिलों में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत लाइवलीहूड कॉलेजों की स्थापना की गई है जिसमें 18–45 वर्ष के युवाओं को पात्रतानुसार प्रवेश दिया जा रहा है।

कृषि का महत्व कृषि भूमि के जोत (Size of Holdings) पर निर्भर करता है। भारत में सीमांत (1.0 हे. कृषि जोत) तथा लघु किसानों (1.2 हे कृषि जोत) की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि मंत्रालय के कृषि गणना विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 1970–2001 में कृषि जोत की औसत कृषि भूमि का रकबा 2.28 हेक्टेयर था, 2005–06 तक घटकर औसत कृषि भूमि 1.23 प्रतिशत हो गया। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, जगलों की कटाई, भारी औद्योगीकरण तथा पारिवारिक बंटवारे की पद्धति ने कृषि को जोखिम का व्यवसाय बना दिया। किसान अब कृषि के बदले शहरों में 400.0 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी की दर पर राजमिस्त्री का काम पसंद कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1990–91 से 2009–10 की अवधि में अनाज का रकबा 23.0 प्रतिशत से घटकर 18.0 प्रतिशत, दलहन 4.0 फीसदी से 3.0 फीसदी, तिलहन में 1.0 प्रतिशत रकबा घटा, उद्यानिकी का रकबा 16.0 फीसदी से 20. फीसदी बढ़ा (इंडिया डवलपमेंट रिपोर्ट 2015)।

अध्ययन में छत्तीसगढ़ में सर्वे के आधार पर किसानों के रकबे के आधार पर भूमिहीन 47.25 फीसदी, सीमांत कृषक 14.50 फीसदी तथा लघु कृषकों की संख्या 13.50 प्रतिशत आंकी गई। सीमांत तथा लघु कृषक गैर आर्थिक कृषक की श्रेणी में आते हैं जिन्हें Non-Viable farmers कहा जाता है। भूमिहीन, लघु तथा सीमांत कृषक (67.0 फीसदी कृषक/शून्य प्रतिशत मकान की छत उपलब्ध कराने के बावजूद) बी.पी.एल. की श्रेणी में गिने जाते हैं। सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था/कार्यप्रणाली को नये नाम जल संसाधन विभाग कर दिया गया है। राज्य के आदिवासी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र की तुलना में सिंचाई की व्यवस्था तालाब, झरने,, नदियों तथा संचित जल भंडार के कारण कम है। वर्ष 2010–11 में जिलेवार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल या शुद्ध बोये गये क्षेत्र से सिंचाई का रकबा कोरिया 14.0 फीसदी, जशपुर 4.0 फीसदी, बिलासपुर 7.0 फीसदी, मुंगेली 44.0 प्रतिशत, महासमुंद 21.0

प्रतिशत, कांकेर 10.0 प्रतिशत, बलौदाबाजार 0.4 प्रतिशत, बीजापुर 40.0 प्रतिशत था।

स्थल सर्वेक्षण के आधार पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी तथा गैर आदिवासी क्षेत्र में 2016–17 में सर्वेक्षित परिवारों ने 5.4 प्रतिशत तालाब, नहरों से 20.24 प्रतिशत, ट्यूबवेल से 3.0 प्रतिशत तथा विद्युत पंपों से 4.0 फीसदी कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युतीकरण की अच्छी प्रगति दिखाई है। विद्युत का कृषि उत्पादन पर विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता है। स्थल सर्वेक्षण में केवल 3.0 प्रतिशत परिवार ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई कर कृषि उत्पाद में संलग्न पाये गये। ग्रामीण विद्युतीकरण गैर उत्पादन कार्यों में लक्ष्यों से ज्यादा प्रगति की है। 90.0 प्रतिशत से अधिक घरों में रोशनी उपलब्ध है। देश में इंदिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख कार्य योजना है। भारत निर्माण में इसे भी प्रमुखता से विकास के संदर्भ में स्थान दिया गया है। सबके लिये आवास संभव बनाने वाले दृष्टिकोण से इंदिरा आवास योजना को कार्यान्वित करने वाली केन्द्र सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि ग्रामीण आवास बंधितों को गरीबी से मुक्ति दिलाने का प्रमुख उपाय है।

अध्ययन में विद्युतीकरण के क्षेत्र में केवल 14 परिवार (3.5 प्रतिशत) को इसका लाभ मिला। शेष छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युतीकरण की प्रगति अच्छी है। जीरो पॉवर कट के बावजूद कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के बीच समन्वय तथा उत्पादन में काफी खाई है। अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों को किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत ट्यूबवेल के लिये सहायता राशि 43000 रूपये, पिछड़ा वर्ग के किसानों को 35000 रूपये, सामान्य वर्ष के किसानों को 25000 रूपये के अनुदान का प्रावधान है। शासन की जानकारी के अनुसार राज्य में (2015) 77345 किसानों को इसका फायदा मिला। स्थल सर्वेक्षण में ऐसे मामले (किसान समृद्धि योजना) संज्ञान में नहीं आ पाये। परिवार शिक्षित तथा जागरूक नहीं है। विद्युतीकरण के कारण राज्य में 327000 किसानों को कृषि पंपों के ऊर्जीकरण का लाभ दिये जाने की जानकारी है।

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है। राज्य को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2022 तक छत्तीसगढ़ के किसानों की आमदनी में दुगुना करने के उद्देश्य एक रोडमैप तैयार किया गया है। राज्य में भूमि में उर्वरता वृद्धि के लिये मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिये दो रूपये में किसान ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी परीक्षण का लाभ ले सकता है। जमीनी स्तर पर किये गये अध्ययन के अनुसार केवल 3 सर्वेक्षित किसानों को मिट्टी परीक्षण का लाभ मिला है।

कृषि में जल संसाधन की योजना हेतु 2022 की रोडमैप में राज्य में स्थापित 4.50 लाख सिंचाई नलकूप के रिचार्जिंग एवं वर्षा जल ग्रहण हेतु मनरेगा के माध्यम से स्थानीय नालों एवं छोटी नदियों में बांध निर्मित किये जायेंगे। आगामी पांच वर्षों में 10000 संरचनाएं निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में 3500 कि.मी. के उपचार द्वारा 45500 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्वहन सिंचाई (Life Irrigation) एवं इससे लगे हुए 35000 हेक्टेयर क्षेत्र में नलकूपों के माध्यम से सिंचाई सुविधा कर विस्तार की योजना है। दक्षतापूर्ण सिंचाई के लिये 360000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सेट अनुदान उपलब्ध कराये जायेंगे।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड की लगभग 50 से अधिक नीतियों को कार्यान्वित कर रहा है। विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न कार्यों के लिये नाबार्ड सहकारी, राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण तथा भूमि विकास बैंकों के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिये कार्ययोजना को जमीनी स्तर पर लागू कर रहा है, जिसमें फसल ऋण, मियादी ऋण, भूमि विकास, कृषि यंत्रीकरण, लघु सिंचाई, डेयरी, बागान/बंजर भूमि विकास, भेंड़/बकरी/सुआ पालन/मत्स्य पालन, गोदाम/मार्केट यार्ड, बायो गैस एवं सेरीकल्चर (रेशम) सम्मिलित हैं। अध्ययन में नाबार्ड की योजनाओं के उद्यानिकी/डेयरी तथा ग्रामोद्योग में सर्वेक्षित परिवारों की भागीदारी की प्रगति रिकार्ड गई है, जिसमें उद्यानिकी जैसे कार्यों पर केवल 2 प्रतिशत परिवारों को

सम्मिलित किया गया था। डेयरी उद्योग में सर्वेक्षित परिवारों की हिस्सेदारी शून्य पाई गई। ग्रामोद्योग/कुटीर उद्योग में 9 परिवारों की भागीदारी रिकार्ड की गई। उदारीकरण के कारण पूरे विश्व की दूरी एकदम सिमट गई है। इंटरनेट के माध्यम से बाजार घर तक पहुंच गया है। ग्रामीण क्षेत्र की ग्रामोद्योग वस्तुओं की मांग लगातार घट रही है। मुक्त बाजार में ब्रांडेड कंपनियों का सामान आसानी से उपलब्ध होने के कारण ग्रामीण/कुटीर उद्योग केवल शासन की अनुदान योजना के माध्यम से घिसट रहे हैं।

ग्रामीण विकास केवल आर्थिक कार्यों तक सीमित नहीं है। प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण, स्वसहायता समूह, स्वास्थ्य सेवाएं, मनरेगा में रोजगार, वनोपज पर आश्रित आदिवासियों के जीवन तथा उनकी समस्याओं को अध्ययन में शामिल किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से टीकाकरण, कुपोषण से मुक्त भारत निर्माण के लिये शिशुओं, गर्भवती/शिशुवती माताओं का परीक्षण तथा विटामिन की गोलियों का वितरण किया जाना है। संस्थागत प्रसव की सुविधा के लिये 1400 रूपये नगद आने–जाने का व्यय, एम्बुलेंस संजीवनी 108, टोल फ्री नंबर से सुविधाओं का काफी विस्तार किया जा चुका है। अध्ययन क्षेत्र में 24.0 प्रतिशत ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। 18.25 प्रतिशत स्वास्थ्य केन्द्र 24 x 7 पद्धति से कार्यरत है। 86.25 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आशा नामक कार्यकर्ता की उपस्थिति पाई गई। प्रशिक्षित नर्स की सेवा का सर्वथा अभाव पाया गया।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करना, बैंकों से तथा राज्य/राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। केन्द्र स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संचालित है। ग्रामीण महिलाएं स्व–सहायता समूह गठित कर स्वरोजगार से अपने परिवार की आमदनी में वृद्धि तथा रोजगार प्राप्त कर रहे हें। अध्ययन क्षेत्र के 16 ग्रामों में कुल 329 परिवारों ने स्व–सहायता समूह के गठन की जानकारी उपलब्ध

है। नाबार्ड की सहायता/मार्गदर्शन से सर्वेक्षित ग्राम – जलिबा, अछोला,, खुटेरा, कलार जेवरा तथा भरसेला ग्रामों के कुल 15 स्व–सहायता समूहों को स्टेट बैंक, ओरिएंटल बैंक, ग्रामीण बैंक आदि ने सूक्ष्म ऋण योजना के माध्यम से स्व–सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 40.5 प्रतिशत परिवारों को 15 दिवस, 27.50 प्रतिशत परिवारों को 30 दिवस का, 10.25 प्रतिशत परिवारों को 60 दिवस का तथा 21.5 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 14 कार्यरत मजदूरों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान 15 दिनों में किये जाने की बाध्यता है। अध्ययन में 43 परिवार (10.75 प्रतिशत) को 15 दिनों में तथा 89.25 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवारों को 15 दिनों के पश्चात् मजदूरी का भुगतान किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी क्षेत्र में वनों से राष्ट्रीयकृत लघुवनोपज तेन्दूपत्ता, साल बीज, हर्रा, महुआ, गोंद आदि का संग्रहण किया जाता है। वनोपज पर आश्रित लगभग 15 लाख आदिवासी परिवारों की लघुवनोपज से काफी मात्रा में आमदनी प्राप्त होती है। अध्ययन के अनुसार सबसे अधिक 64.0 प्रतिशत परिवार तेन्दूपत्तों का संग्रहण करते हैं। दूसरे स्थान पर 39.0 प्रतिशत परिवार महुआ का संग्रहण करते हैं। ज्ञातव्य है कि महुवे से आदिवासी शराब बनाते हैं तथा जीवन के प्रत्येक कार्यों में शराब का उपयोग करते हैं। आदिवासियों द्वारा शराब बनाकर स्वयं उपभोग करने के लिये शासन की अनुमति प्रदान की गई है। अन्य प्रमुख लघु वनोपजों में गोंद, शहद, चिरौंजी, हर्रा तथा साल बीज का संग्रहण कर लघु वनोपज सहकारी समिति को विक्रय करते हैं। राज्य में तेंदूपत्ता जिसे हरा सोना कहा जाता है, राजस्व में काफी योगदान देता है, जिससे शासन तेंदूपत्ता संग्रहकों को प्रति सीजन तेन्दूपत्ता बोनस वितरित करती है। लघु वनोपज से भरपूर राजस्व/लाभांश का वितरण सामाजिक कार्यों के लिये किया जाता है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है जिसे (Bonus) कहा जाता है। विगत वर्ष में बोनस की राशि 1237.10 करोड़ रूपये वितरित की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में

1065317 संग्राहकों का बीमा कराया गया। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को 651135 करोड़ रूपये छात्रवृत्ति के नाम पर वितरित किये गये। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को विशेष कर 13 लाख महिलाओं को चरण पादुका तथा साड़ी का निःशुल्क वितरण भी किया गया।

अध्ययन में छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी तथा गैर आदिवासी ग्रामीण परिवारों की विविध सुविधाओं में अच्छी स्थिति जैसे शौचालय, स्नान घर, रसोई गैस, मनरेगा आदि। 46.75 प्रतिशत (187) सर्वेक्षित परिवार शौचालय का प्रयोग, 6.25 प्रतिशत घर में स्नान घर का इस्तेमाल, 17.0 प्रतिशत परिवारों को रसोई गैस की सुविधा, 51.74 प्रतिशत परिवार के सदस्य टेलीविजन का उपयोग, 1.24 प्रतिशत परिवारों में रंगीन टी.वी. सेट, 60.0 प्रतिशत परिवारों के पास साईकिल, 5.5 प्रतिशत परिवार मोटर सायकल का प्रयोग तथा 46.0 प्रतिशत परिवार सेल फोन का प्रयोग करते हैं। 1 नवंबर, 2000 को नया राज्य छत्तीसगढ़ के नाम पर स्थापित होने के पश्चात् राज्य विकसित राज्य की गिनती में शामिल हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित दर पर 46573.00 रूपये तथा स्थित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय था (शासकीय गणना) 29635.00 रूपये है।

समस्याएं –

अध्ययन में 400 ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष साक्षात्कार (Personal Interview) के माध्यम से वर्ष 2016–17 को जमीनी स्तर पर पूछे गये सवालों के आधार पर हितग्राहियों ने नाबार्ड की योजना लागू है/नहीं है – जवाब में 389 ग्रामीण परिवारों (98.22 प्रतिशत) ने सूचित किया कि उनके ग्रामों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की योजनाएं लागू नहीं की जा सकी। कौशल विकास – अध्ययन में 387 परिवारों (97.71 प्रतिशत) ने सूचित किया कि कौशल विकास के बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम। छात्रवृत्ति – छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लघु वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। 7.75 प्रतिशत परिवार के छात्र–छात्राओं को शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं है। शौचालय – संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत 213

परिवार (53.78 प्रतिशत) इस अभियान से नहीं जुड़े हैं। वे आज भी खुले में शौच जाते हैं। शासकीय योजनाओं की जानकारी – साक्षरता के न्यूनतम स्तर के कारण उन्हें ग्राम पंचायतों से उनके ग्रामों में संचालित कार्यों अथवा नवीन योजनाओं के बारे में 396 परिवारों ने अनभिज्ञता जाहिर की। मनरेगा की मजदूरी – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्यों की मजदूरी का भुगतान समय पर अर्थात् 15 दिनों की समाप्ति पर नही किया जाता। 301 परिवार (75.25 प्रतिशत) परिवारों को 15 दिनों में उनके कार्यों की मजदूरी का भुगतान प्राप्त हुआ। वनोपज विपणन – लघु वनोपज के विपणन में उन्हें शासकीय समर्थन मूल्य पर विभिन्न औषधीय/गैर औषधीय लघु वनोपज के विपणन की अग्रिम सूचना नहीं मिलती। 96.75 प्रतिशत (385 परिवार) ने वनोपज के विपणन में उचित पारिश्रमिक नहीं मिलने की शिकायत की एवं सीमित दिनों का मनरेगा में रोजगार – अध्ययन में 317 परिवारों के अनुसार 100 दिनों का रोजगार मनरेगा में नहीं मिलता जैसी समस्याओं से अवगत कराया।

सुझाव –

शोध अध्ययन में जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष अवलोकन तथा ग्रामीण परिवारों से बातचीत करने पर शासकीय योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में शासन को सलाह दी कि योजनाओं को शासकीय दस्तावेजों में केवल दर्ज न करें, बल्कि आप अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ लेने में आम आदमी का मार्गदर्शन करें तथा समय पर लागू करें।

शोधार्थी निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करता है जो नया नहीं है बल्कि शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में शासकीय अधिकारों के योजनाओं को लागू करने में दिशानिर्देश देता है –

1. **Change Orientations :** Rural Development is concerned with Socio-Economic change. It is this special orientation which seperates it from the traditional administration.

2. **Result Orientations :** Development orientation is result oriented because it has to bring in specific socio-economic changes in structure of the society.

3. **Commitment :** Development administration means that their is firm comitment to certain ideas and goals which have to be turned into concepts programmes within a time schedule.

4. **Temporal Dimension :** Socio-economic changes to be effective and useful must be brought within time limit. The benefits of the programme will have to be reach the people as quickly as possible. Therefore, the temporal abstract assumes great importance in the development administration.

विशेषकर देश में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक स्थिति की दिशा और दशा शून्य है। जबकि अक्टूबर 1998 में केन्द्र सरकार ने ''आदिवासी कल्याण विभाग'' का नाम बदलकर ''जनजाति कार्य मंत्रालय'' भारत सरकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2011–12 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जनजातियों की संख्या 35.2 प्रतिशत है। जबकि संवैधानिक सुरक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों पर आदिवासी बहुल राज्यों के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। आदिवासियों की उप योजना (Tribal Su-Plan) में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक– सामाजिक विकास पर प्रति व्यक्ति 8000.00 रूपये व्यय किये जाते हैं। सारांश यह है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संपूर्ण माडल तथा कार्यप्रणाली को नये सिरे से समय की मांग के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़कर शीघ्रतिशीघ्र कमियों को जितना जल्दी दूर किया जाए, उतना अच्छा होगा।

✷✷✷